घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

महिला उत्पीड़न के सार्वजनिक मामले घरेलू हिंसा से सम्बन्धित होते हैं। जिसके लिये काफी समय से प्रयास चल रहा था, जिसमें 13 सितम्बर 2005 को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया गया है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा

इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए प्रतिवादी का ऐसा प्रत्येक कृत्य, कार्य या अपराध या व्यवहार घरेलू हिंसा का गठन करेगा, जो पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन को हानि या क्षति या संकटापन्न बनाता है चाहे वे भौतिक हो अथवा मानसिक या ऐसे कारित करने की प्रवृति रखते हों और इसमें शारीरिक प्रताड़ना यौन प्रताड़ना शाब्दिक प्रताड़ना या आर्थिक प्रताड़ना सम्मिलित है। पीड़ित व्यक्ति या उससे सम्बद्ध किसी व्यक्ति को हानि, क्षति इस विचार से कारित है कि उसे दहेज की अवैध मांग या अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए धमकाया जाएं। पीड़ित पक्षकार को क्षति या नुकसान कारित की है चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।

शारीरिक हिंसा

यौन हिंसा

शाब्दिक और भावनात्मक हिंसा

आर्थिक हिंसा

धारा 17: साझा गृहस्थी के तहत प्राप्त किए जाने वाले आदेश निम्नलिखित हैं।

तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के होते हुए भी घरेलू नातेदारी में महिला को साक्षी गृहस्थी में रहने का अधिकार होगा चाहे वह उसके अधिकार/हक/फायदा प्रतिहित रखती हो या नहीं।

धारा 18: संरक्षण आदेश – व्यथित व्यक्ति के पक्ष में तथा प्रत्यर्थी को निम्नलिखित प्रतिहित करते हुए संरक्षण आदेश मजिस्ट्रेट के समक्ष पारित किये जाते हैं-

क) घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना या दुष्प्रेरित करना, व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में यदि व्यथित व्यक्ति बालक है तो उसके विद्यालय या किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करना। किसी भी रूप से व्यथित व्यक्ति से सम्पर्क करने का प्रयत्न करना, किन्हीं अस्तियाँ का संक्रमण करना।

ख) बैंक लॉकरों या खातों का जिसका दोनो पक्षों द्वारा प्रयोग या धारण है, प्रचालन करना, जिसमें स्त्री धन भी शामिल हैं।

ग) आश्रितों अन्य नातेदारों सहायता करने वाले व्यक्ति के साथ हिंसा कारित करना।

धारा 19: निवास आदेश –

उपरोक्त प्राविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश मजिस्ट्रेट के समक्ष पारित किये जाते हैं-

- साझी गृहस्थी में व्यथित व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करना, उसके कब्जे में विघ्न डालने से प्रत्यर्थी को अवरूद्ध करना।
- प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदार को साझी गृहस्थी में किसी भाग में जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करना है, प्रवेश से अवरूद्ध करना।
- प्रत्यर्थी का किसी साझी गृहस्थी के अन्य संक्रान्ति करने व्यथित करने या उसके विलंगम करने से अवरूद्ध करना।
- प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की अनुकल्पित वास सुविधा जैसी वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रहा था/रही थी, उसके लिए किराये

जैसी वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रहा था/रही थी, उसके लिए किराये का सुनिश्चित करने के निर्देश।

धारा 20 : धन सम्बन्धी अनुतोष –

ऐसे अनुतोष के लिए निम्नलिखित सम्मिलित होंगे

उपार्जनों की हानि।

चिकित्सीय खर्चे।

नियंत्रण से सम्पत्ति का नाश।

नुकसान या हटाये जाने के कारण हानि।

संतान व व्यथित व्यक्ति के लिए भरण-पोषण।

धारा 21 : अभिरक्षा आदेश –

उपरोक्त प्राविधान के अन्तर्गत किसी अन्य घरेलू हिंसा के आलेख के सुनवाई के प्रक्रम पर मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति को या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति के संतान के अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा। यदि आवश्यक हो प्रत्यर्थी ऐसी संतान देखने का प्रबन्ध विर्निदिष्ट कर सके।

धारा 22 : प्रतिकर आदेश –

यदि मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन पर प्रत्यर्थी को क्षति के लिए जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा की गयी घरेलू हिंसा के कार्यो द्वारा मानसिक यातना व भावनात्मक संकट शामिल है।

प्रतिकर और नुकसानों का भुगतान करने लिए प्रत्यर्थी को निर्देश दे सकता है।

धारा 23 : मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्यवाही में प्रथम दृष्टया पर पाता है कि प्रत्यर्थी कोई घरेलू हिंसा कर रहा है तो धारा 18, 19,20,21 यथासम्भव धारा 22 के अधीन व्यक्ति के शपथ पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है।

प्रत्यर्थी की परिभाषा

घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति जिला संरक्षण अधिकारी के माध्यम से या स्वयं सक्षम न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

अपने आस-पास हो रही घरेलू हिंसा को रोकने में सहयोगी बनें।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग

मानव अधिकार भवन, तृतीय तल, टी.सी.-34 बी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010, फोन नं. 0522–2306403, फैक्स नं. 2728671

टोल फ्री नं0 1800–180–5220